नोटिस

फाइल सं. : फा. 8/292/2018-आर (सी एंड पी)

भारत सरकार में उच्च पदों पर पार्श्व भर्ती

यह भारत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा आमंत्रित उन आवेदनों के संदर्भ में है जो सरकार के निम्नलिखित दस विभागों / मंत्रालयों में संविदा आधार पर संयुक्त सचिव स्तर पर सरकार में कार्यभार ग्रहण कर देश के निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रगतिशील भारतीय नागरिकों से किए गए हैं :-

(i) राजस्व विभाग
(ii) वित्तीय सेवाएं विभाग
(iii) कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(v) पोत परिवहन मंत्रालय
(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(vii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
(viii) नागर विमानन मंत्रालय
(ix) आर्थिक कार्य विभाग
(x) वाणिज्य विभाग

अब दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को ऐसे उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन का कार्य सौंप दिया गया है जिन्होंने इसके प्रत्युत्तर में पहले से ही आवेदन किया है। चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पहले ही अपना आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डी ए एफ) भरने का निदेश दिया जाता है जिसमें उम्मीदवारों की योग्यताओं और अनुभव के संबंध में अतिरिक्त विशिष्ट जानकारी की मांग की गई है ताकि चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदनों में दिए गए पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अलग से मेल भेजा जा रहा है। उम्मीदवार अपने मेल में भेजे गए

लिंक द्वारा डीएएफ में मांगी गई सभी अपेक्षित जानकारी दिनांक 1 जनवरी, 2019 को सायं 06.00 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मूल विज्ञापन में दर्शाई गई योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इनके होने मात्र से उम्मीदवार परीक्षण/ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं बन जाता है। चूंकि आवेदनों की संख्या अत्यधिक है, परीक्षण/ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को समुचित संख्या तक सीमित करने के लिए आयोग निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक तरीकों से उपयुक्त लघुसूचीबद्ध किए जाने का मानदंड अपना सकता है।

(i) उचित रूप से अनुभव के तुलनीय स्तर को परिभाषित करके।
(ii) विज्ञापन में निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में न्यूनतम योग्यता से अधिक किसी भी विशिष्ट अनुभव या उच्चतर अनुभव के आधार पर
(iii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता से की अपेक्षा उच्च/ प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर
(iv) भर्ती परीक्षण आयोजित करके

इसलिए, उम्मीदवार को प्रासंगिक क्षेत्र में न्यूनतम योग्यता से अधिक अपनी सभी योग्यताओं और अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए।

उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता और उनके द्वारा दावा किए गए अनुभव के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने चाहिए। शैक्षिक योग्यता के समर्थन में डिग्री/ डिप्लोमा / प्रमाण पत्र अपलोड किए जा सकते हैं। यदि डिग्री/ डिप्लोमा उपलब्ध न हो तो मार्कशीट के साथ अनंतिम प्रमाणपत्र अपलोड किया जा सकता है। अनुभव के लिए नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अद्यतित और पूर्ण अनुभव प्रमाणपत्र, जिसमें ड्यूटी का स्वरूप, तारीखें तथा अनुभव की अवधि, लेवल/ पोजीशन, जिम्मेदारियां आदि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हों, अपलोड किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ किए गए दावे का संतोषजनक रूप से समर्थन नहीं करता, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

इसी प्रकार, वे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है किन्तु इसके समर्थन में जो अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न किए गए है वे दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं है जो उनके दावे का समर्थन नहीं करता है को अस्वीकार कर दिया जाएगा । केवल संगत अनुभव की समयावधि जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है पर विचार किया जाएगा ।

नियुक्ति आदेश, कार्यालय आदेश, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण- पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र, तैनाती आदेश, परिवचन और उम्मीदवार द्वारा एवं अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र या स्वरोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया जाता है ।

विस्तृत आवेदन-पत्र में उम्मीदवार द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के आधार पर परीक्षण / साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा । वे यह सुनिश्चित कर लें कि मुहैया कि मुहैया कराई गई ऐसी जानकारी सत्य है । किसी भी अनुवर्ती चरण में या परीक्षण / साक्षात्कार के समय उनके द्वारा मुहैया कराई गई किसी प्रकार की जानकारी या अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र में उम्मीदवार द्वारा किया गया दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसे उम्मीदावार के विरूद्ध उचित समझी जाने वाली समुचित कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात 01/01/2019 को 6.00 बजे सायं के बाद प्राप्त विस्तृत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

NOTICE

File No: F.8/292/2018-R(C&P)

Lateral Recruitment to Senior Positions in Government of India

This is with reference to the applications invited by the Department of Personnel & Training (DOPT) from talented and motivated Indian nationals willing to contribute towards nation building to join the Government at the level of Joint Secretary on contract basis in the following ten Department/Ministries of the Government:-

(i) Department of Revenue
(ii) Department of Financial Services
(iii) Department of Agriculture Cooperation & Farmers' Welfare
(iv) Ministry of Road Transport & Highways
(v) Ministry of Shipping
(vi) Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(vii) Ministry of New and Renewable Energy
(viii) Ministry of Civil Aviation
(ix) Department of Economic Affairs
(x) Department of Commerce

The task of selection of suitable candidates from amongst those who have already applied in response to the same has now been entrusted to the Union Public Service Commission by the competent authority on 29th October, 2018. All candidates who have already submitted the application to DOPT are hereby instructed to fill up a Detailed Application Form (DAF) which seeks to obtain additional specific information of the candidates regarding qualifications and experience so as to facilitate the selection process. A mail is also being issued separately to each of the candidates who have applied, through their registered e-mail ID indicated in their online applications submitted in response to DoPT Advertisement. The candidates may access the link indicated in the mail addressed to them and submit online all the requisite information asked for in the DAF before 06.00 PM 1st January 2019.

The essential qualifications indicated in the original advertisement are the minimum and mere possession of the same does not entitle candidates to be called for Test/ Interview. As the numbers of applications are large, Commission may adopt suitable short listing criteria to restrict the number of candidates to be called for Test / Interview to a reasonable number by any or more of the following methods:

(i) By defining the comparable level of experience suitably.

(ii) On the basis of any specific experience or higher Experience in the relevant field than the minimum prescribed in the advertisement.

(iii) On the basis of higher/ relevant Educational Qualifications than the minimum prescribed in the advertisement.

(iv) By holding a Recruitment Test.

The candidate should, therefore, mention all his/her qualifications and experience in the relevant field over and above the minimum qualifications.

The candidates are required to upload documents in support of the Educational Qualification and Experience claimed by them in DAF. Degree / Diploma / Certificate may be uploaded in support of the educational qualification. If Degree / Diploma is not available, Provisional Certificate along with full Marksheet may be uploaded. For experience, up-to-date and full Experience Certificate, unambiguously indicating the nature of duties, dates and duration of experience, level / position, responsibilities etc issued by the employer may be uploaded. In case, the submitted documents do not satisfactorily support the claim made, the applications would be liable to be rejected.

Similarly, applicants who have claimed relevant experience but the Experience Certificate attached in support of that is not for the entire duration claimed or do not support the claim made would be rejected. Only the time period of relevant experience for which Experience Certificate has been submitted would be considered.

Appointment letters, office orders, transfer orders, resignation letters, pay certificates, service certificates, posting orders, affidavits and the certificates attested by the candidates themselves or self employment certificates are not considered as proof of experience.

Candidates will be short-listed for Test/Interview on the basis of the information provided by them in their DAF. They must ensure that such information is true. If at any subsequent stage or at the time of Test/Interview any information given by them or any claim made by them in their online DAF is found to be false, appropriate action as deemed fit, would be taken against such candidates.

DAF received after last date of submission i.e. 06.00 PM on 01/01/2019 would not be considered.

*****